फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 19/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/8) **श्री गोविन्दलाल नाई बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2024	उपस्थिति दौराने बहसः-	

1. श्री खेमराज डांगी - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1
3. श्री दिलीप सुथार - वकील प्रत्यर्थी-3
4. श्री महेन्द्र ओझा - वकील प्रत्यर्थी-4

अनवान

1. **श्री गोविन्दलाल पिता स्व. श्री केशुलाल नाई, निवासी 27, भट्टवाड़ी, अम्बामाता, उदयपुर।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर।**
2. **सिंचाई विभाग, उदयपुर जरिये सहायक अभियंता, उदयपुर।**
3. **नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।**
4. **नगर निगम जरिये आयुक्त, उदयपुर।**

-प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-04/2018, में गोविन्दलाल नाई बनाम तहसीलदार, गिर्वा व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2019 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 02.02.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-04/2018, में गोविन्दलाल नाई बनाम तहसीलदार, गिर्वा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि उदयपुर शहर व मौहल्ला भटवाड़ी में स्थित है, जो कुम्हारिया तालाब के उत्तर में जिसके साबिक आराजी संख्या 110, 111 है तथा उक्त आराजी संख्या-108 एवं पश्चिम दिशा में आ.स. 109, पूर्वी दिशा में 112, 115 स्थित है। उक्त आराजी बंदोबस्त संवत 2009 सन् 1953 के अनुसार वस्तुस्थिति की पुष्टि संवत 1987 सन् 1931 से होती है। जिसमें कुम्हारिया तालाब के साबिक आराजी 274/2 है, वर्तमान बंदोबस्त में प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का अस्तित्व समाप्त करत हुए कुम्हारिया तालाब के नई आराजी संख्या 192 में सम्मिलित कर दिया है, उक्त गलती पैमाईश के वक्त की गई है जिसमें सुधार करावें तथा उक्त आराजी का अलग सर्वे नम्बर बनाया जाकर अंकित कराया जावें। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 20.10.2000 की पालना करा राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती करा प्रार्थी की आबादी भूमि को सिंचाई विभाग की आबादी नम्बर 192 में से कम करायी जाकर दुरस्ती का आदेश प्रदान करावें।
- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा निर्णय दिनांक 18.09.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 19/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/8) **श्री गोविन्दलाल नाई बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2019 से उपरोक्त अपील को खारिज कर अंकन किया कि **"तहसीलदार, गिर्वा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नगर निगम उदयपुर के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि वर्तमान जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में आ.स. 1981/192 रकबा 0.1850 हैक्टयर किस्म आबादी होकर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज रेकर्ड है। एवं जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 566 आराजी संख्या 192 रकबा 4.1700 हैक्टयर भूमि सिंचाई विभाग उदयपुर के नाम दर्ज रेकार्ड है। नगर निगम द्वारा यह भी अंकित किया है कि राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 की धारा 245 के तहत एवं माननीय न्यायालय एडीजे-2 उदयपुर के प्रकरण संख्या 2/2018, वर्तमान मुकदमा नम्बर 9/18, 8/18 होकर दिनांक 23.01.2018 को दिये आदेश की पालना में कार्यवाही की गई जिस पर नगर निगम स्वामित्व का बोर्ड लगवाया गया है एवं भूमि किस्म पेटा है। उक्त कार्यवाही से बचने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से एवं प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने में भी असफल रहा है एवं भूमि की किस्म पेटा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 एलआरएक्ट का खारिज किया जाता है।"** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2019 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 22.10.2019 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 95 दिनांक 05.01.2024 के क्रम में न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 10.01.2024 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान दिनांक 25.01.2024 को उपस्थित, जिनकी विस्तृत बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि अपीलार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि उदयपुर शहर व मौहल्ला भटवाड़ी में स्थित है, जो कुम्हारिया तालाब के उत्तर में जिसके साबिक आराजी संख्या 110, 111 है तथा उक्त आराजी संख्या-108 एवं पश्चिम दिशा में आ.स. 109, पूर्वी दिशा में 112, 115 स्थित है। उक्त आराजी बंदोबस्त संवत 2009 सन! 1953 के अनुसार वस्तुस्थिति की पुष्टि संवत 1987 सन् 1931 से होती है। जिसमें कुम्हारिया तालाब के साबिक आराजी 274/2 है, वर्तमान बंदोबस्त में प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का अस्तित्व समाप्त करत हुए कुम्हारिया तालाब के नई आराजी संख्या 192 में सम्मिलित कर दिया है, उक्त गलती पैमाईश के वक्त की गई है जिसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। नक्शें में स्थान ए से बी लाईन के उत्तरी दिशा में आबादी भूमि है तथा दक्षिण दिशा में कुम्हारिया तालाब की सरहद है तथा कथित प्रार्थना पत्र में यह दाद चाही गई कि संलग्न नक्शें में चिंहित ए से बी रेखा के उत्तरी दिशा वाली भूमि की किस्म आबादी दर्ज कराई जावें। जो आराजी संख्या- 111 थी, उसको आराजी नम्बर 192 में मिला देने की वजह से यह गलती पैमाईश के वक्त की गई थी, जिसमें सुधार करावें तथा उक्त आराजी का अलग सर्वे नम्बर बनाया जाकर अंकित करावें। इसी अनुसार आराजी नम्बर 192 में से कमी कर उसके नये आराजी नम्बर अंकित करते हुए, राजस्व रेकर्ड में अंकित करें। इस आदेश की पालना में जो तरमीम की गई उसमें ए से बी मार्क	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 19/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/8) **श्री गोविन्दलाल नाई बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया वो भी गलत अंकित किया गया है। ए से बी जहां डालना चाहिये वहा नहीं डाला जाकर ए से बी टेडी लाईन कर दी जिससे आबादी भूमि दक्षिण में तालाब की भूमि में रह गई। जिस पर मुझ अपीलान्ट का कब्जा है व मकान बना हुआ है व निवास कर रहा हूँ, जो आबादी भूमि होते हुए भी आराजी नम्बर 192 में मिला दी गई जबकि मुझ प्रार्थी के पुर्व मेरे पिता का कब्जा चला आ रहा है तथा रेकर्ड में भी दर्ज है। आबादी भूमि का रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा है, जबकि तरमीम किया गया वह 0.1850 हैक्टेयर ही है जिससे स्पष्ट है कि निर्णय अनुसार अमल दरामद नहीं किया गया है। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र महज निर्णय की पालना के लिये था, न कि किसी अधिकारों को तय करने के सम्बन्ध में था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-2 से 4 को भी पक्षकार बना दिया व उनके दबाव में कथित निर्णय पारित किया जो विधि के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा तहसीलदार गिर्वा से भी मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें में उक्त त्रुटि के संबंध में रिपोर्ट अपीलार्थी के पक्ष में प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त फरमाया जावें।

प्रत्यर्थी-तहसीलदार की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा बहस में प्रस्तुत किया कि धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत केवल लिपिक त्रुटि हो सहमति के आधार पर ही दुरस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में विवाद की स्थिति है, जिससे वांदित दाद केवल सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर विस्तृत जांच उपरान्त ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है, जिसमें किसी के अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत जांच उपरान्त निर्णय पारित किया है, जिसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

सिंचाई विभाग अनुसार पिछोला झील राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 417 दिनांक 21.11.2016 द्वारा नगर निगम उदयपुर को मय समस्त न्यायिक प्रकरण सहित हस्ततांतरित कर दी गई है। अतः झील पेटे की भूमि में अतिक्रमण से संबंधित समस्त कार्यवाही नगर निगम उदयपुर द्वारा ही की जानी है।

प्रत्यर्थी-नगर निगम की ओर से उपस्थित पेरोकार द्वारा मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया कि धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत केवल लिपिक त्रुटि हो सहमति के आधार पर ही दुरस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में विवाद की स्थिति है, जिससे वांदित दाद केवल सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर विस्तृत जांच उपरान्त ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है, जिसमें किसी के अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। अपीलार्थी द्वारा जिस आदेश दिनांक 20.10.2000 का हवाला दिया जा रहा है, उसमें वह पक्षकार नहीं है और उक्त आदेश दिनांक 20.10.2000 की पूर्ण पालना की जा चुकी है। कोई इन्द्राज दुरस्ती शेष नहीं है। जो भूमि शेष है जो तालाब पेटा की भूमि है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 के तहत किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही ऐसी भूमि किसी आवंटित की जा सकती है। उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने बाबत अपीलार्थी को पूर्व में भी नोटिस जारी किया गया था, परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। तहसीलदार गिर्वाा द्वारा जो रिपोर्ट न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में प्रस्तुत की गई, वह रिपोर्ट नगर निगम, उदयपुर की अनुपस्थित में बनाई गई, जबकि पिछोला झील से संबंधित भूमियों का क्षेत्राधिकार नगर निगम के पास उपलब्ध है, ऐसे में उक्त रिपोर्ट के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 19/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/8) **श्री गोविन्दलाल नाई बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आधार पर जो एकतरफा बनाई गई, के आधार पर अपीलार्थी को कोई अनुतोष देय नहीं है। अपीलार्थी राजकीय भूमि को हडपनें की मंशा से उक्त भूमि पर कब्जा जमाये बैठा है और धारा-136 की कार्यवाही में उक्त भूमि अपने नाम कराना चाहता है, जो अवैद्यानिक है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत जांच उपरान्त निर्णय पारित किया है, जिसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवेदन कर इन्द्राज दुरस्ती किये जाने का अनुरोध किया। उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा निर्णय दिनांक 18.09.2021 से उक्त आवेदन अस्वीकार करने का आदेश प्रसारित किया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण दर्ज कर सभी पक्षकारान को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिस पर नगर निगम, उदयपुर द्वारा उक्त भूमि के पेटा किस्म होकर अपीलार्थी का अतिक्रमी होना जाहिर का अपनी आपत्ति प्रस्तुत की। नगर निगम द्वारा यह भी अंकित किया है कि राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 की धारा 245 के तहत एवं माननीय न्यायालय एडीजे-2 उदयपुर के प्रकरण संख्या 2/2018, वर्तमान मुकदमा नम्बर 9/18, 8/18 होकर दिनांक 23.01.2018 को दिये आदेश की पालना में कार्यवाही की गई जिस पर नगर निगम स्वामित्व का बोर्ड लगवाया गया है एवं भूमि किस्म पेटा है। इसी प्रकार तहसीलदार की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आराजी संख्या 1981/192 रकबा 0.1850 हैक्टेयर किस्म आबादी होकर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम एवं आराजी संख्या 192 रकबा 4.1700 हैक्टेयर भूमि सिंचाई विभाग उदयपुर के नाम दर्ज होने से आवेदन अन्तर्गत धारा-136 एलआर एक्ट को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा अपने निर्णय में तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 को खारिज कर दिया। न्यायालय हाजा समक्ष यह स्थिति निविवार्दित है, इस प्रकरण में विवाद की स्थिति है। इस न्यायालय समक्ष भी यह स्थिति उभर के आई है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा-136 एलआर एक्ट के वांछित अनुतोष पर सभी पक्षकारान के मध्य स्वीकरोक्ति नहीं होकर विवाद की स्थिति और जांच का विषय है। हस्तगत प्रकरण में भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का अवलोकन किया जाना उचित होगा जो निम्न प्रकार है । “136- Correction of errors- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any register: Provided that when any error is noticed by any revenue officer in	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 19/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/8) **श्री गोविन्दलाल नाई बनाम तहसीलदार गिर्वा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties."

उक्त धारा 136 के अवलोकन करने से भी यही आशय पाया जाता है कि कोई लिपिकीय अशुद्धि अथवा ऐसी अशुद्धि जिसे पक्षकार स्वयं गलती होना स्वीकार करते है अथवा राजस्व अधिकारियों के द्वारा रिकार्ड अभिलेख के निरीक्षण के दोरान कोई गलती होना पाया जाए तो ऐसी गलतियों को संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर दुरूस्त किया जा सकता है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण ऐसी त्रुटि से संबंधित नहीं है, जिसमें सभी पक्षकार सहमत हो। इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णनानुसार अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कथन विरोधाभासी है। प्रकरण में नगर निगम एवं सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं स्थिति से अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत कथनों के विपरित स्थिति दर्शित करती है। अपीलार्थी द्वारा जिस आदेश दिनांक 20.10.2000 का हवाला दिया गया है, उस प्रकरण में अपीलार्थी पक्षकार नहीं है, ऐसें में यह भी नहीं कहा जा सकता है, अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की पालना बाबत ही अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यदि उक्त आदेश दिनांक 20.10.2000 की पालना में किसी भी प्रकार की कोई इन्द्राज दुरस्ती शेष होती तो, उक्त प्रकरण से संबंधित आवेदक द्वारा पालना हेतु इमदाद चाही जाती परन्तु तथ्यों के विपरित जाकर उस प्रकरण में जो पक्षकार नहीं था, उस तृतीय व्यक्ति यानि अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित आवेदन धारा-136 के तहत पेश किया जाना पोषणीय नहीं है। धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही केवल समरी कार्यवाही है इसमें केवल तकनीकी भूल व दोनों पक्षकारों की सहमति से ही नक्शे या रेकर्ड में सुधार किया जा सकता है। जहां किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता हो या विवाद की स्थिति हो वहां इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की जा सकती है। अतः इस प्रकरण में धारा-136 के प्रावधान लागु नहीं होते है। इसके लिए अलग से घोषणा के प्रावधान है।

चूंकि विधिक प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति अपना राइट या टाइटल केवल दावे से ही तय करा सकता है। जो दोनो पक्षों की जबानी व दस्तावेजी शहादत लेकर हर पक्षकार को क्रोस करने का अवसर देकर तय किए जावेगें। इस मामले में धारा 136 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि सारा मामला साक्ष्य पर निर्भर करता है। धारा-136 की कार्यवाही एक संक्षिप्त प्रकृति की है और इसे वाद के रूप में नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त परिस्थितियों एवं पत्रावलियों का गहन अध्ययन उपरान्त हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय दिनांक 18.09.2019 पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

परिणामतः **अपील अपीलार्थी अस्वीकार** की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.09.2019 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(महावीर खराड़ी, R.A.S.)
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर